न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 224/2013

सायलान :-

1. बगदाई पत्नी इन्द्रा उम्र 40 साल
2. सागर पुत्री इन्द्रा उम्र 16 साल
3. कुशल पुत्र इन्द्रा उम्र 14 साल
4. सादुल पुत्र इन्द्रा उम्र 12 साल
5. बबलू पुत्र इन्द्रा उम्र 10 साल

सायल संख्या दो से पांच

नाबालिक जरिये कुदरती

वलिया माता बगदाई पत्नी इन्द्रा

जाति-बावरी, निवासी-आ0कालू

तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. इन्द्रा पुत्र हरजी
   जाति-बावरी, निवासी-आ0कालू
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
3. पटवारी हल्का-आ0कालू-प्रथम
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.30.07.2013

उपस्थितः- 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायलान।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 26/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आ0कालू-प्रथम, तहसील-जैतारण में सायलान व गैरसायल एक की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 45 बीघा 09 बिस्वा किश्म बा. अव्वल, खसरा नम्बर 2066 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2067/5 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-3 कुल रकबा 87 बीघा 11 बिस्वा की आई हुई हैं, उक्त भूमि सायल संख्या एक के ससुर व सायल संख्या दो से पांच के दादा व गैरसायल संख्या एक के पिता हरजी के नाम की थी हरजी फौत के बाद जरिये फौतदेगी म्यूटेशन हरजी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में कल्याण व गैर सायलान संख्या एक का नाम दर्ज हुआ। यानि पीढी दर पीढी उक्त भूमि सायलान व गैरसायलान संख्या एक काबिज है एवं काश्त करते आ रहे हैं। उक्त सम्पूर्ण आराजी में सायलान व गैरसायल संख्या एक इन्द्रा व कल्याण का यानि हरजी के वारिसान का 1/7 हिस्सा आता है इसी हिस्से माफिक सायलान अपने हिस्से माफिक काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है। सायल संख्या एक के पति इन्द्रा को विरासत में उक्त भूमि मिली उसी तरह सायलान का भी अधिकार माफिक विरासत के बनता है सायलान की पैतृक पुश्तैनी भूमि गैर सायल संख्या एक को बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं क्योकि उक्त भूमि सायलान व गैरसायलान संख्या एक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पीढीदर पीढी काश्ते करते आ रहे हैं। इसी प्रकार सायल संख्या दो से पांच का जन्म से उक्त भूमि पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अपने हिस्से माफिक अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है गैर सायल संख्या एक द्वारा दिनांक 05/07/2013 को सायलान को ऐलानिया कहा कि मैं जमीन का बैचान, रहन, वसीयत कर दूंगा नहीं तो मुझे खराब पीने के रुपये देवे। सायलान गरीब अनुसूचित जाति के काश्तकार है एवं संख्या दो से पांच नाबालिक हैं। जिनका भी भरण पोषण सायल संख्या एक काफी वर्षो से करती आ रही हैं। सायल संख्या एक व गैरसायल संख्या एक की विवाहिता पत्नी है सायल संख्या दो से चार गैरसायल संख्या एक के पुत्र व पुत्रियाँ हैं, जिनका उक्त भूमि पर अपने जन्म से अधिकार बनता हैं उक्त भूमि के अलावा सायलान के पास जीवन निर्वाह के लिए अन्य कोई जमीन नहीं हैं। यदि गैरसायल संख्या एक उक्त भूमि का शराब के नशे में लोगो के सिखावे व बहकावें में आकर किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान, रहन, वसीयत आदि कर देता हैं, तो सायलान संख्या दो से पांच नाबालिक बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। क्योकि सायल संख्या दो से पांच का पिता गैरसायल संख्या एक शराबी हैं, जो अपने बाल बच्चो का व अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं करता हैं। हर समय शराब पीकर मारपीट करता है और कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करता हैं। सायलान के आमदनी का कोई अन्य जरिया नहीं हैं। केवल मात्र आजीविका के लिए उक्त भूमि ही हैं। गैरसायल संख्या एक द्वारा पैतृक पुश्तैनी उक्त कृषि भूमि का दिनांक 05/07/2013 को बैचान, रहन, वसीयत आदि करने की ऐलानिया सायलान को धमकी देने दी। यदि गैरसायल संख्या एक उक्त आराजी का बैचान, रहन, वसीयत आदि किसी अजनबी व्यक्ति के नाम कर देगा, तो सायलान जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भूखे मर जायेगे तथा अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगें। सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति गैर सायल संख्या एक किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगा। इसलिए उक्त आराजी का बैचान, रहन, वसीयत बख्शीश आदि करने व गैर सायल संख्या दो को ऐसा दस्जावेज का पंजियन करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरुरी हैं। उक्त आराजी सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टिया केस सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबुत हैं। यदि गैरसायल संख्या एक द्वारा अवैध रुप से किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान, रहन, वसीयत आदि कर देगा, तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगें तथा सायलान के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी एवं मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होगा। सायलान को गैरसायलान के विरुद्ध विविध प्रकार के मुकदमें करने पडेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायल किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगें एवं वर्तमान में उक्त आराजी पर सायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। इसलिए जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से गैरसायल को सायलान के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने व उक्त आराजी का रहन बेचान करने नही करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में पेश हुई। गै0सा0 संख्या 2 व 3 को बावजूद तामिली / सूचना

उपखण्ड अधिकारी
बैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही को की गई। गै0सा0 संख्या 1 की तलबी हेतु तलबाना पेश करने हेतु दिनांक 03/09/2013 से आज दिनांक तक तलबाना पेश नहीं करने से सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। गै0सा0 संख्या 1 की तलबी हेतु तलबाना पेश करने हेतु दिनांक 03/09/2013 से आज दिनांक तक तलबाना पेश नहीं करने से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner